


२७.०८.२५

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।
वकील वादी को बार-बार अपसर देने पर भी
प्रतिवादीगण का रजि. सम्मन तलबाना पेश नहीं
किया गया है एवं न ही प्रतिवादीगण की तलबी
करवाई गई है। वकील वादी द्वारा आदेश-१
निपम-५ CPC के प्रावधानों की पालना नहीं की
गई है। अतः वादी का वादपत्र तलबी के अभाव
में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। फावली
बाद तर्तीब तकमील होकर दायित्व दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर पुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(सुनीलकुमार चौधान)
R.A.S.